210

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल, ग्वालियर म.प्र.

निग० 2758-I/16

निगरानी प्र.क्र. -

वर्ष 2015-16

गोपीचन्द्र तनय स्व. श्री जीतसिंह शर्मा

सा. ग्राम थरा तह. वा जिला छतरपुर म.प्र. ... आवेदक

// विरुद्ध//

म.प्र. शासन .. अनावेदक

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू. रा. संहिता 1959.

निगरानी विरुद्ध आदेश श्रीमान् अपर कलेक्टर महोदय, छतरपुर के ,प.क्र. 28/निग./अ-19/2007-08 गोपीचंद्र तनय सूरा वगैरह में पारित आदेश दिनांक 17.1.08 के विरुद्ध पेश है -

1:- यह कि प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि भूमि खसरा नंबर 114, रकबा 5.399 स्थित ग्राम थरा तहसील जिलाछतरपुर म.प्र. की भूमि के पूर्व भूमि स्वामी निगरानीकर्ता के पिता जीतसिंह तनय श्री बंशगोपाल शर्मा थे, जिनका भूमि स्वामी के रूपमें राजस्वरिकार्ड में नाम अंकित था बाद में बगैर किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के भूमि म.प्र. शासन दर्ज कर ग्राम के सूरा कोंदर, मारू कोंदर के नाम उक्त भूमि में से रकबा 1.00-1.00 हेक्टेयर के पट्टे आवंटित कर दिए गए । जैसे ही उक्त निगरानी कर्ता को उपरोक्त तथ्य की जानकारी हुई तो उसके द्वारामान. अनुविभागीय अधिकारी छतरपुर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की थी जोदिनांक 23.06.06 को प्रस्तुत किया जो निरस्त कर दी गई तब उसके विरुद्ध आवेदक ने माननीय अपर कलेक्टरमहोदय के न्यायालय में निग.प्र.क्र. 28/19/07-08 प्रस्तुत की जिसमें दिनांक 17.01.08 के निर्णय के द्वारा

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 2758–एक/16 जिला –छतरपुर

दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	हस्ताक्षर
16.8.16	आवेदक के अधिवक्ता श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा उपस्थित। एव अनावेदक शासन की और से शासकीय पैनल अभिभाषक उपस्थित। उभय पक्षों के अभिभाषकों के तर्क निगरानी ग्राह्यता एवं धारा–5 के आवेदन पर श्रवण किये गये। धारा–5 का आवेदन समाधानकारक होने के कारण मान्य किया जाता हैं यह निगरानी अपर कलेक्टर जिला छतरपुर द्वारा प्रकरण कमांक 28/अ–19/2007–08 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 17–. 1–2008 के विरूद्ध म0प्र भू–राजस्व संहिता की धारा –50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है। 2– प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम थरा, तहसील व जिला छतरपुर स्थित भूमि सर्वे कमांक 114 रकबा 5.399 के भूमिस्वामी आवेदक के पिता जीत सिंह थे। जीत सिंह का नाम राजस्व अभिलेखो में अंकित था। उक्त प्रविष्टि को हटाकर उसके स्थान पर मध्य प्रदेश शासन अंकित कर दिया गया। तथा भूमि का पटटा दे दिया गया. उक्त तथ्य की जानकारी होने पर आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गयी जिसे अनुविभागीय अधिकरी द्वारा निरस्त किया गया। अनुविभागीय अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध आवेदक ने अपर कलेक्टर के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की जो निरस्त की गई। अपर कलेक्टर के उक्त आदेश के विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गयी है।	

3–आवेदक अभिभाषक द्वारा निगरानी मेमों में वर्णित आधारों एवं अपने तर्को में बताया गया है कि आवेदक के पिता का नाम राजस्व अभिलेखों में भूमिस्वामी के रूप में अंकित था। तथा आवेदक का अपने पिता का तथा उसके पश्चात उसका भूमि पर निरन्तर वास्तविक आधिपत्य होकर वह कृषि कार्य करता चला आ रहा है. आवेदक को सुचना एव सुनवायी का कोई अवसर दिये बिना एवं बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के आवेदक के पिता के नाम की चली आ रही भूमिस्वामी स्वत्व की प्रविष्टी को विलोपित कर तथा कथित रूप से भूमि पर म0प्र0 शासन अंकित करने की जो कार्यवाही की गयी है वह पूर्णतः विधि विपरीत है. भूमि कभी शासकीय भूमि नही रही है, भूमि आवेदक के पूर्वजो की ही है. अनुविभागीय अधिकारी ने उनके समक्ष प्रस्तुत अपील में पटटाधारी को दिये गये पटटे को अनुचित मानकर निरस्त किया गया, किन्तु आवेदक द्वारा उक्त प्रविष्टि को हटाये जाने के सम्बन्ध में किये गये निवेदन को अभिलेख को देखे बिना एवं बिना किसी साक्ष्य लिये निरस्त कर दिया गया. अपर कलेक्टर के समक्ष आवेदक ने जो तथ्य उठाये थे उन पर अपर कलेक्टर महोदय ने कोई विचार न करते हुए मनमाने आधारों पर विवादित आदेश पारित किया गया है जो स्थिर रखे जाने योग्य नही है. आवेदक अभिभाषक ने अपने तर्को में यह भी बताया की अधिनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश मे यह माना है कि आवेदक के पिता का नाम राजस्व अभिलेखों मे वर्ष 1952–53 से 55–56 तथा संवत 2009 से 2012 तक भूमि स्वामी के रूप में प्रविष्ट था, किन्तु उपरोक्त बिन्दुओ को अनदेखा करते हुए विवादित आदेश पारित किये गये है जो स्थिर रखे जाने योग्य नही है, इस कारण से उपरोक्त आदेशों को निरस्त किया जाये तथा यह निगरानी स्वीकार कर आवेदक का नाम पूर्वानुसार भूमिस्वामी के रूप में अंकित किये जाने के आदेश प्रदान किये जाये।

3– अनावेदक अभिभाषक द्वारा अपने तर्को में अधिनस्थ न्यायालयों की कार्यवाही एंव आदेशों को उचित एवं सही बताते हुए निगरानी निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

4– उभय पक्षों के तर्को के प्रकाश में मेरे द्वारा अभिलेख का अवलोकन किया गया. अभिलेख के अवलोकन से में यह मैं पाता हूँ कि आवेदक के पिता का नाम राजस्व अभिलेखों में वर्ष 1952 से 1955–56 के खसरों एवं संवत 2009 लगायत 2012 के खसरों में प्रविष्ट है. आवेदक द्वारा इस सम्बन्ध में इस न्यायालय के समक्ष भी खसरों की सत्यप्रतिलिपि प्रस्तुत की गयी है. अभिलेख के अवलोकन से यह भी प्रमाणित होता है कि राजस्व अभिलेखों में उक्त भूमि कभी शासकीय दर्ज किये जाने का कोई कारण नही दर्शाया गया है. और न ही ऐसा कोई आदेश अभिलेख पर उपलब्ध है जिसके आधार पर भूमि पर आवेदक के पिता के स्थान पर शासकीय अंकित किया जाना आदेशित किया गया है. अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदक द्वारा इस सम्बन्ध में उनके समक्ष प्रस्तुत खसरे वर्ष 1974–75 लगायत 1998–99 पर बिना कोई विचार किये आवेदक को हितबद्ध पक्षकार न मानते हुए अपील को निरस्त करने में विधि का प्रयोग नही किया है. क्योंकि उपरोक्त प्रस्तुत दस्तावेजो से यह प्रमाणित होता है कि आवेदक एक हितबद्ध एवं परिवेदित पक्षकार था उसे सूचना एवं सुनवाई का कोई अवसर दिया जाना प्रमाणित नही होता है. अपर कलेक्टर द्वारा भी इन बिन्दुओ पर विचार नही किया गया है. राजस्व अभिलेखों के संधारण का दायित्व राजस्व अधिकारियों पर है. राजस्व अभिलेख में बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के परिवर्तन किया जाना न्यायोचित नही है. इस कारण से भूमि को शासकीय अंकित किया जाना तथा उसे बंटन किये जाने की कार्यवाही को किसी स्तर पर स्थिर नही रखा जा

सकता है. अत. उपरोक्त कार्यवाही विधि विपरीत होने से निरस्त की जाती है. तथा ग्राम थरा तहसील व जिला छतरपुर में स्थित भूमि सर्वे कमांक 114 रकबा 5.399 जो कि पूर्व में राजस्व अभिलेखों में आवेदक के पिता जीत सिंह तनय वंशगोपाल के नाम अंकित थी, उनके फौत होने से उनके पुत्र गोपीचन्द तनय स्व0 जीतसिंह शर्मा के नाम, पर की गयी म0प्र0 शासन के नाम की प्रविष्टि को विलोपित करते हुए आवेदक के नाम अंकित किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है. उपरोक्तानुसार यह निगरानी आवेदन पत्र स्वीकार किया जाता है। पक्षकार सूचित हों। राजस्व मण्डल का प्रकरण अभिलेखागार में संचय हेतु भेजा जावे।

सदस्य